न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 103/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1नैनाराम पुत्र मोहनलाल जाति खाती 2गीता पत्नी नैनाराम जाति खाती निवासीगण नया दरवाजा नागौर।		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2पटवारी नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23/4/19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/2016 सरकार बनाम नैनाराम में निर्णय दिनांक 21.03.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 11 गै.मु. बारानी–4 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.09.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 26.05.16 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 39/16 सरकार बनाम नैनाराम मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.16 की फोटोप्रति, उक्त प्रकरण के फर्द अहकाम दिनांक 01.03.16 से 21.03.16 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, तहसीलदार को प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के फर्द अहकाम दिनांक 26.04.16 से 03.04.19 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 31.03.16 को पेश किया गया जो नकल दिनांक 25.4.16 को तैयार होकर अपीलार्थीगण को दिनांक 29.04.16 को प्राप्त हुई। इसलिये नकल मे लगे समय को बाद देने पर अपील अंदर मियाद है। फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाना उचित व न्यायसंगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–विवादग्रस्त भूमि शहर नागौर की आबादी के मध्य स्थित है। जिसके चारो ओर नगरपालिका नागौर ने आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड काटे है व सन्त बलरामदास कॉलोनी, व्यास कॉलोनी व व्यास विस्तार कॉलोनी के नाम से आवासीय भूखण्ड नगरपरिषद नागौर द्वारा विक्रय किये गये है व चारो ओर आबादी स्थित है ऐसी स्थिति मे आबादी भूमि के मध्य की भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। मौके पर भूमि का सही नाप व तरमीम नही हुआ है व नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक था। जिस हेतु आवेदन भी पेश किया गया व जवाब मे एतराज भी किया गया जिस पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने

अपर कलक्टर, नागौर

से अपास्त होने योग्य है तथा अपीलार्थीगण का 1980 से कब्जा व उपयोग रहता आया है व भूमि नगरपालिका की आबादी भूमि का भाग है जो किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि का भाग नही है तथा चारो ओर आबादी बसी हुई है जो नगरपरिषद नागौर की सीमा मे आती है जो आबादी की भूमि है इसलिये जो रिपोर्ट पेश की गई है वह बिना मौका निरीक्षण के गलत रूप से पेश की गई है। आबादी भूमि होने बाबत जवाब भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जिन पर गौर किये बिना ही गलत रूप से अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो पर गौर किये बिना ही गलत आदेश पारित किया है जो आदेश विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–मौके पर पटवारी द्वारा पट्टिया रोपकर व कोटडी बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। पटवारी हल्का ने मौके का निरीक्षण किये बिना ही गलत रिपोर्ट पेश की है व मौका की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट पेश की है व किसी प्रकार का मौका देखा ही नही व बिना मौका देखे गलत रिपोर्ट पेश है अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं. 11/815 के खातेदार से खरीद की हुई है व उसी भूमि पर काबिज है किसी प्रकार से अतिक्रमी नही है उक्त भूमि रेकर्ड मे तरमीम की हुई नही है जिस संबंध मे जवाब मे एतराज भी किया गया व तरमीम करने का निवेदन किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया है व अधिक भूमि पर कब्जा भी पाया जाता है तो भी अपीलार्थीगण का 1980 से कब्जा होने के कारण अपीलार्थीगण नियमन करवाने के अधिकारी है भूमि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे नही आती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो पर गौर किये बिना ही गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के संबंध मे किसी भी प्रकार की साक्ष्य नही ली गई न ही पटवारी की जिरह का अवसर दिया गया तथा अपीलार्थीगण को भी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर पर्याप्त रूप से नही दिया है। सबूत पेश करने का बिना पर्याप्त अवसर दिये ही आदेश पारित किया है इसलिये भी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने व विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने दो व्यक्तियो के संयुक्त नाम से नोटिस जारी किये है व दोनो के नाम से संयुक्त कार्यवाही दर्ज की है जबकि विधि अनुसार दोनो के संबंध मे प्रकरण अलग अलग दर्ज किया जाना चाहिये था व दोनो का अलग अलग नोटिस जारी किया जाना चाहिये था क्योकि दोनो का अलग अलग कब्जा है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने मे विधिक भूल की है। इसलिये भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VI)–वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण सं. 44/16 नैनाराम बनाम सरकार मे विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना नैनाराम को विवादित जायगा से आगामी तारीख पेशी तक बेदखल नही करने एवं यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित हो चुका है। जो वर्तमान मे भी प्रभावी है। इसलिये कार्यवाही हाजा को स्थगित रखा जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा नागौर में स्थित गै.मु. बारानी–4 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 11 गै.मु. बारानी–4 भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बारानी–4 है। जहां तक सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण सं. 44/16 नैनाराम बनाम सरकार मे आदेश दिनांक 12.05.2016 के द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विवादग्रस्त जायगा से बेदखल नही करने एवं यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है, उक्त आदेश वर्तमान मे प्रभावी है अथवा नही ऐसा कोई दस्तावेजी आधार नही है तथा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही किये जाने मे कोई रोक भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश की पालना करते समय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण सं. 44/16 नैनाराम बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 12.05.16 के प्रकाश मे सभी दस्तावेज एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर लेते हुए यथोचित कार्यवाही करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर